बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2021 में उत्तीर्ण होने वाले बिहार राज्य के अधिसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना

राज्य सरकार द्वारा लागू की गई योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2021 में उत्तीर्ण होने वाले बिहार राज्य के अधिसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को एकमुश्त रू0 1,00,000/– (एक लाख रूपये) मात्र की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

1. **अभ्यर्थी के लिए अहर्त्ता एवं शर्तें:–**
   - (i) बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
   - (ii) बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित अत्यंत पिछड़े वर्ग के कोटि का सदस्य होना चाहिए।
   - (iii) सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा, 2021 में उत्तीर्ण होना चाहिए।
   - (iv) किसी भी अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ एक ही बार देय होगा।
   - (v) पूर्व से किसी भी सरकारी/लोक उपक्रम/राज्य सरकार द्वारा वित्त संपोषित संस्थान की सेवा में कार्यरत/नियोजित अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

2. **आवेदन की प्रक्रिया:–**
   - (i) विभागीय बेवसाईट– **https://state.bihar.gov.in/bcebcwelfare/CitizenHome.html** पर **Login** कर अभ्यर्थी के द्वारा दिनांक–30.11.2021 तक ऑनलाईन निबंधन एवं आवेदन समर्पित किया जा सकता है। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदन अमान्य समझे जाएँगें। किसी अन्य माध्यम से कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे एवं ऐसे आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा।
   - (ii) निबंधन हेतु अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य रूप से फोटो, हस्ताक्षर, एडमिट कार्ड की स्वअभिप्रमाणित प्रति, जाति प्रमाण पत्र (सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत), आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण–पत्र (सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत), बैंक पासबुक (जिसमें खाता संख्या एवं बैंक IFSC Code स्पष्ट रूप से अंकित हो) या हस्ताक्षरित रद्द चेक (जिसमें आवेदक का नाम अंकित हो) की **Scanned** प्रति ऑन लाईन पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा।
   - (iii) अभ्यर्थी के पास ईमेल आई–डी होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को आवश्यक सूचना उनकी ई–मेल आईडी पर दी जाएगी। अभ्यर्थी अपने ईमेल को प्रक्रिया पूर्ण होने तक सक्रिय रखेंगे। अद्यतन सूचना के लिए अभ्यर्थी को अपनी ई–मेल नियमित रूप से देखने की अपेक्षा की जाती है।
   - (iv) ऑन–लाईन माध्यम से आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को वांछित सभी सूचनाएँ सही–सही अंकित करनी होंगी। इसमें किसी भी तरह की त्रुटि की जिम्मेवारी अभ्यर्थी की होगी।
   - (V) यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा गलत सूचना देकर इस योजना के तहत अनुमान्य राशि प्राप्त की जाती है तो उसके विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि:– 30.11.2021

- विस्तृत जानकारी विभागीय बेवसाईट– **https://state.bihar.gov.in/bcebcwelfare/CitizenHome.html** पर देखी जा सकती है।
- विशेष जानकारी के लिए विभागीय दूरभाष संख्या–0612–2215406 पर संपर्क किया जा सकता है।

30/10/21

उप सचिव।